न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 25/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– सुमेरसिंह बनाम भवानीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
20/8/19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.1.2017 द्वारा तहत न्यायालय ने यह कहते हुये टी0 आईव वैकेट की है कि तामील नहीं होने से टी0 आई0 को आगे बढाया जाना उचित नहीं है । जबकि प्रतिवादी की तामील कराने हेतु रजिस्ट्री की रसीद प्रस्तुत की हुई है । जिसमें वादी प्रार्थी की कोई बदनियती दृष्टिगोचर नहीं होती है । ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं । अतः प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनकर स्थगन के सम्बन्ध में पुनः निर्णय लेवें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 14/10/2019 को उपस्थित हों । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner